URGIENT

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, M.P.

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462 004. 4th Floor, Satpuda Bhawan, Bhopal-462 004

क्रमांक–4 / शैक्ष. / 11 / 7060 भोपाल, दिनांकः–21/11/2011

प्रति

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
निजी क्षेत्र की समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थाएं,
मध्यप्रदेश।

विषयः– माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष जांच प्रकरण 450 / 10 के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सचि. / ओएसडी / 2011 / 1766 दिनांक 31 / 10 / 2011 का अवलोकन करें जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त ज्ञाप क्रमांक एफ1–26 / 2010 / 42–1 दिनांक 19 / 10 / 2011 के संदर्भ में माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष जांच प्रकरण क्रमांक 450 / 10 में आपकी सोसाइटी / ट्रस्ट के तहत् संचालित तकनीकी महाविद्यालय से संबंधित जानकारी चाही गई है कि संस्था द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों से शेष अवधि की फीस हेतु पोस्ट डेटेड चैक प्राप्त किये जाने के संबंध में शपथ–पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड करवाकर प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

जिन संस्थानों ने उक्त शपथ–पत्र प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति में अब तक प्रस्तुत नहीं किया है वे प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार दिये गये प्रोफार्मे में 2 दिवस में वाहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को प्रस्तुत करें। निर्धारित समय–सीमा में शपथ पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में ऐसी संस्थाओं के संबंध में शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र.4 / शैक्ष. / 11 / 7061 भोपाल, दिनांकः–21/11/2011

प्रतिलिपिः–

1) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल को उनके पत्र क्रमांक एफ1–26 / 2010 / 42–1 दिनांक 05 / 11 / 2011 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2. अध्यक्ष / सचिव, एसोसिएशन आफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मध्यप्रदेश, ई–3, / 13, अरेरा कालोनी, भोपाल को इस टीप के साथ कि संबधित जानकारी ऐसोसिऐशन की सदस्य संस्थाओं को सूचित करें कि उक्त समयावधि में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को अनिवार्यतः उक्त शपथ–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश